UPSL040028612026

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सम्भल स्थित चंदौसी।

अपराध संख्या–66 / 2026

सरकार बनाम अंकित कश्यप।

धारा– 351(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0
थाना चंदौसी, जिला–सम्भल।

25.03.2026

मुकदमा अपराध सं0 66 / 2026, धारा– 351(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0, थाना चंदौसी, जिला सम्भल के प्रकरण में **अभियुक्त अंकित कश्यप पुत्र ताराचन्द्र** की ओर से जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को उक्त मामलें में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अजमानतीय प्रकृति का है। अतः जमानत का विरोध है।

सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त / प्रार्थी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है, जिसका विरोध विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया है। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। अभियुक्त पर जिस अपराध का अभियोग है वह 07 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण का जमानत का आधार पर्याप्त है।

आदेश

मुकदमा अपराध सं0 66 / 2026, धारा– 351(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0, थाना चंदौसी, जिला सम्भल के प्रकरण में **अभियुक्त अंकित कश्यप पुत्र ताराचन्द** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 20 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

(दीपक कुमार जायसवाल),
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चंदौसी

Digitally signed by DEEPAK KUMAR JAISWAL
Date: 2026.03.25 19:22:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court